3 सामाजिक परिवर्तन के जनांकिकीय कारक

[DEMOGRAPHIC FACTORS OF SOCIAL CHANGE]

जनांकिकी (Demography) उस विज्ञान का नाम है जो जनसंख्या के आकार, परिवर्तन और जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं का अध्ययन करता है। अपनी सांख्यिकीय प्रवृत्ति (Statistical Attitude) के कारण जनांकिकी विज्ञान को बहुत शुष्क और नीरस समझा जाता है लेकिन सामाजिक परिवर्तन को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि समाज पर जनसंख्या के प्रभावों का सामान्य ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाये। यही कारण है कि वर्तमान समाजशास्त्रियों का ध्यान **जनसंख्या** की विशेषताओं और सामाजिक परिवर्तन में इसके योगदान की ओर निरन्तर बढ़ता जा रहा है।[1] वास्तविकता यह है कि जनसंख्या प्रमुख रूप से एक प्राकृतिक तथ्य है क्योंकि किसी भी समूह की जनसंख्या साधारणतया वैयक्तिक प्रयत्नों से बहुत कम प्रभावित होती है। इसके उपरान्त भी जनसंख्या को पूर्णतया एक प्राकृतिक तथ्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके परिणाम सामाजिक होते हैं।[2] निम्नांकित विवेचन में हम जनांकिकी विज्ञान अथवा जनसंख्या की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन न करके केवल यही स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि **जनांकिकीय कारक** (Demographic Factor) **का क्या अर्थ है** और जनसंख्यात्मक विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की दशा उत्पन्न करते हैं।

सॉरोकिन (Sorokin) ने जनांकिकीय कारक को परिभाषित करते हुए कहा है, "कारक का अर्थ किसी समाज की जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि अथवा ह्रास होना है।"[3] इस प्रकार जनांकिकीय कारक में हम मुख्य रूप से जनसंख्या के परिमाणात्मक (Quantitative) पक्ष को ही सम्मिलित करते हैं, गुणात्मक (Qualitative) पक्ष को बहुत कम अर्थात् हमारा उद्देश्य केवल यही स्पष्ट करना होता है कि जनसंख्या के आकार और विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन समाज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हम इस बात की विवेचना नहीं करते कि जनसंख्या में कौन-कौन-से गुण होने चाहिए।

समाज में किसी भी विवेचना में जनांकिकीय कारकों का महत्व इतना अधिक है कि संसार की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति में किये गये विभिन्न अध्ययनों में भी इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसके बाद कन्फ्यूसियस (Confucius) ने जनसंख्या के आकार का किसी समाज की आर्थिक-व्यवस्था, सरकार के रूप, सम्बन्धों की प्रकृति और युद्धों से सम्बन्ध स्पष्ट करके विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया। इससे स्पष्ट होता है कि विश्व-प्रसिद्ध 'माल्थस (Malthus) का जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त' बनने से पहले ही अनेक विचारकों ने जनसंख्या सम्बन्धी विचारों को बहुत व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करना शुरू कर दिया था। इन विचारकों में प्लेटो, अरस्तू, सिसरो, बोडिन, क्युस्ने, जे. एस. मिल, ह्यूम, एडम स्मिथ, आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। माल्थस के बाद फ्रांसीसी विद्वान् **एडोल्फे कोस्टे** (Adolphe Coste) ने जनसंख्यात्मक कारकों का बहुत विस्तार से अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि "समाज की सभी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जनसंख्यात्मक कारक सबसे अच्छा आधार

---

1 For detailed discussion of Demography see Kingsley Davis, *Human Society*, Chapter XX and XXI.

2 Robert Bierstedt, *The Social Order*, p. 123.

3 "By the demographic factor is meant the increase or decrease of the size and density of population."
—P. Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, p. 357.

Scanned with CamScanner

है।" कोस्टे के अनुसार, जनसंख्या की वृद्धि और इसके घनत्व के द्वारा सभी सामाजिक दशाओं के उद्विकास तक को समझा जा सकता है। आरम्भिक सभ्यताओं का विकास भी उन्हीं स्थानों पर हुआ है जहाँ जनसंख्या का केन्द्रीकरण हो गया था। मिस्र, भारत, चीन और रोम की सभ्यताएँ इस कथन को स्पष्ट करती हैं।

इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि हम जनसंख्यात्मक विशेषताओं द्वारा उत्पन्न होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का विस्तार से विवेचन करेंगे।

जनसंख्या तथा सामाजिक परिवर्तन
(POPULATION AND SOCIAL CHANGE)

किसी समाज की जनसंख्या उस समाज की जैविकीय विशेषताओं का सबसे स्पष्ट प्रतिनिधित्व करती है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं जनसंख्या का आकार बहुत विस्तृत है तो कहीं यह अत्यधिक सीमित है; किसी स्थान पर घनत्व अधिक है तो कहीं भूमि खाली पड़ी है; कहीं पर जनसंख्या स्वस्थ है तो कहीं बीमारियों से ग्रस्त; कुछ प्रदेशों के निवासियों की प्रजनन क्षमता अपूर्व है तो कुछ स्थानों पर जन्म-दर को बढ़ाने के अधिकृत प्रयत्न करने पर भी उसमें वृद्धि नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जनसंख्या की विशेषताओं के अनुसार ही सामाजिक संगठन को एक विशेष रूप प्राप्त होता है और उसी के अनुसार सामाजिक ढाँचे का निर्माण होता है। यदि जनसंख्यात्मक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाये तो सामाजिक परिवर्तन की भी पूरी सम्भावना हो जाती है। प्रथम महायुद्ध और औद्योगिक क्रान्ति के समय जनसंख्यात्मक विशेषताओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। अधिक संख्या में पुरुषों की मृत्यु हुई और स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हो गयी। इससे स्त्रियों ने वे सभी कार्य करने आरम्भ कर दिये जो पहले पुरुषों द्वारा किये जाते थे। नवीन शिक्षा पद्धति का विकास हुआ और इस प्रकार स्त्रियों में जैविकीय रूप से पुरुषोचित गुण दिखायी देने लगे। स्वभाव से लज्जालु स्त्री प्रशासन तक के लिए उपयुक्त बन गयी। इस प्रकार निम्नांकित विवेचन में हम जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं द्वारा सामाजिक परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करेंगे :

(1) जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का प्रभाव (Effects of the Change in Population Size)

किसी समाज में जनसंख्या का आकार सामाजिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जनसंख्या के आकार का जीवन-स्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध है और जीवन-स्तर हमारे सामाजिक मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है। जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से निम्नांकित क्षेत्रों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं :

(क) जन्म और मृत्यु-दर (Birth and Death Rate)—जन्म-दर में वृद्धि जनसंख्या के आकार में वृद्धि करती है और मृत्यु-दर में वृद्धि होने से जनसंख्या के आकार में कमी हो जाती है। जन्म-दर की वृद्धि अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे—मनुष्य की प्रजनन क्षमता में वृद्धि, रोगों से मुक्ति, विवाह की आयु में कमी तथा प्रकृति से अधिक अनुकूलन कर सकने की क्षमता, आदि। जन्म-दर में होने वाली वृद्धि चाहे किसी भी कारण से प्रभावित हो लेकिन इतना अवश्य है कि जन्म-दर में वृद्धि होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है लेकिन उसके अनुपात में जीविका के साधनों में एकाएक वृद्धि नहीं हो पाती। इससे गरीबी, बीमारी व बेकारी की स्थिति उत्पन्न होती है, कार्यक्षमता में कमी होती है, जीवन-स्तर गिरता है, जीविका के अधिकाधिक साधन प्राप्त करने के लिए संघर्षों की मात्रा में वृद्धि होती है, अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ता है और इस प्रकार समाज के संगठन को बनाये रखना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जन्म-दर में होने वाली कमी भी न्यून उत्पादन, प्राकृतिक शक्तियों के अपर्याप्त उपयोग तथा स्त्री-पुरुष के अनुपात में भिन्नता जैसी दशाएँ उत्पन्न करके सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है।

मृत्यु-दर का सम्बन्ध दीर्घायु (Longivity) से है। समाज में यदि मृत्यु-दर कम होती है तो व्यक्ति दीर्घायु होते हैं और मृत्यु-दर में वृद्धि होने से समाज में वृद्ध व अनुभवी व्यक्तियों की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु-दर में कमी होने का कारण स्वास्थ्य की उत्तम सुविधाएँ और न्यूनतम दुर्घटनाएँ हैं। इससे वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है जो परम्पराओं और अनुशासन को महत्व देकर किसी

Scanned with CamScanner

भी परिवर्तन को रोकने का प्रयत्न करते हैं। इसके साथ ही ऐसे समाजों में अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप सामाजिक संघर्षों को कम करना सरल हो जाता है। मृत्यु-दर में कमी होने से परिवर्तन की गति धीमी पड़ जाती है, जबकि मृत्यु-दर अधिक होने से सामाजिक परिवर्तन में भी तीव्रता की सम्भावना अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, युद्ध के समय मृत्यु-दर में सबसे अधिक वृद्धि हो जाती है और इसलिए इस सामाजिक परिवर्तन की सम्भावना भी सबसे अधिक हो जानी है।

(ख) आप्रवास और उत्प्रवास (Immigration and Emigration)—आप्रवास का अर्थ अन्य स्थानों से व्यक्तियों का हमारे समाज में प्रवेश करना और उत्प्रवास का अर्थ हमारे समाज के व्यक्तियों का दूसरे समाजों में चले जाना है। आप्रवास से किसी समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है और तब वे सभी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो अधिक जन्म-दर से उत्पन्न हो सकती हैं लेकिन इससे कहीं बड़ा प्रभाव प्रजातीय मिश्रण क्षेत्र में स्पष्ट होता है जिसका बीरस्टीड और सॉरोकिन ने विस्तृत विवरण दिया है। इन विद्वानों का कथन है कि आप्रवास के कारण एक समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिनकी संस्कृति, प्रजातीय विशेषताएँ, सामाजिक मूल्य तथा जीवन-स्तर वहाँ के मूल निवासियों की विशेषताओं से भिन्न होता है। परिणामस्वरूप दोनों समूहों की मिली-जुली संस्कृति के कारण व्यवहार के नये ढंग विकसित होने लगते हैं। जैविकीय गुणों में मिश्रण हो जाने से व्यक्तियों की मानसिक और शारीरिक विशेषताएँ भी बदल जाती हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति की चिन्तन प्रणाली, नैतिकता और व्यवहार-प्रतिमानों पर पड़ता है और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे समाज में पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और पूर्वी एशिया के अनेक स्थानों से आने वाले व्यक्तियों के कारण परिवर्तन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह आप्रवास के प्रभाव को स्पष्ट करती है। असम में उत्पन्न अव्यवस्था इसी स्थिति का परिणाम है।

उत्प्रवास (Emigration)—अर्थात् हमारे समाज के व्यक्ति द्वारा दूसरे समाज में चले जाने से जनसंख्या में कमी होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों से पुन: अभियोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है। कुछ विशेष सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों की कमी हो जाने से हमें अपनी आवश्यकताओं में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। सामान्य रूप से उत्प्रवास पुरुषों द्वारा अधिक संख्या में होने के कारण कुछ समय के लिए स्त्रियों के अनुपात में वृद्धि होती है। अनेक परिवारों में पुरुषों की अनुपस्थिति से पारिवारिक विघटन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार समाज में परिवर्तन होने लगता है। जनसंख्या की गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए **डॉसन और गेटिस** का कथन है कि "एक विशेष आर्थिक स्तर वाले स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा के बिना सामाजिक परिवर्तन की कल्पना तक नहीं की जा सकती।" **सॉरोकिन** का कथन है कि "जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है।"

(2) जनसंख्या सम्बन्धी संरचना का प्रभाव (Effects of the Composition of Population)

जनसंख्या की संरचना का निर्माण करने वाले कारकों में **आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर तथा स्त्रियों की स्थिति** का विशेष महत्व है। इन कारकों में जब कभी परिवर्तन होता है, तब समाज की संरचना में भी परिवर्तन होने लगता है। निम्नांकित विवेचन में हम इन्हीं कारकों का सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्ध स्पष्ट करेंगे :

(क) आयु-समूह (Age-groups)—जनसंख्या में यदि अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या अधिक हो तो अनुशासन के कठोर नियमों द्वारा परम्परागत विचारों की रक्षा की जाती है, नवीनता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तथा जोखिम-भरे कार्यों के अभाव में विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। यदि जनसंख्या के रूप में परिवर्तन होने से वृद्धों की अपेक्षा युवकों की संख्या में वृद्धि हो जाये, तब नवीनता के प्रति आकर्षण बढ़ जायेगा, धर्म में तर्क का समावेश हो जायेगा, परम्पराओं को बहुत कम महत्व मिलेगा और सैन्य-शक्ति का विस्तार होगा। यद्यपि राजनीतिक व आर्थिक जीवन में काफी त्रुटियाँ होंगी लेकिन शक्ति व उत्साह के कारण इनको शीघ्र ही दूर कर दिया जायेगा। तात्पर्य यह है कि ऐसे परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज की संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जायेगा।

(ख) स्त्री-पुरुष का अनुपात (Sex Ratio)—अनेक समाजों में स्त्री व पुरुषों के अनुपात में परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार

Scanned with CamScanner

भारत में आज प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या केवल 940 है। परिणामस्वरूप, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों को प्रधानता मिली हुई है, जबकि पश्चिमी देशों और विशेषकर इटली व फ्राँस में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक होने के कारण उनका सामाजिक पद, आर्थिक सेवाएँ तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी अर्थ में पुरुषों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या में स्त्री-पुरुषों के अनुपात में परिवर्तन होने से समाज के ढाँचे में परिवर्तन हुआ है। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक उत्तर प्रदेश की 'थारू' जनजाति में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होने के कारण वहाँ पुरुष की स्थिति एक नौकर से अच्छी नहीं थी और कहीं-कहीं तो परिवार भी मातृवंशीय थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों के अनुपात में होने वाली अचानक वृद्धि से उनके समाज की संरचना और सामाजिक रीतियाँ लगभग बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुकी हैं।

(ग) वैवाहिक प्रथाएँ (Marital Customs)—विवाह एक प्रमुख सामाजिक संस्था है और इसके अन्तर्गत होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण हैं। यदि बहुपत्नी-विवाह अथवा बाल-विवाह के स्थान पर एक-विवाह और विलम्ब-विवाह (Late Marriage) का प्रचलन हो जाय तो स्त्रियों की स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन होता है। वे सामाजिक क्षेत्र में अधिक जागरूक हो जाती हैं, अपने अधिकारों को समझने लगती हैं और शोषण के विरुद्ध समानता व स्वतन्त्रता का दावा करती हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों के पारिवारिक वातावरण पर पड़ता है। वे पहले से अधिक निर्भीक, शिक्षित और व्यवहार में नम्र हो जाते हैं। इस प्रकार समाज की इन छोटी-छोटी इकाइयों में परिवर्तन होने से समाज स्वयं भी परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत, यदि विलम्ब विवाह का प्रचलन किसी अशिक्षित समाज में हो जाता है तो यह अनैतिकता और व्यभिचार की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

(3) जनसंख्या तथा आर्थिक परिवर्तन (Population and Economic Change)

आर्थिक जीवन का सम्बन्ध विशेष रूप से तीन तथ्यों से है—(1) उत्पादन की विधि, (2) सम्पत्ति के स्वामित्व का रूप तथा (3) आर्थिक समृद्धता। यह विश्वास किया जाता है कि ये तीनों तथ्य समाज की जनसंख्या के आकार और घनत्व द्वारा प्रभावित और परिवर्तित होते हैं। **सर्वप्रथम,** जनसंख्या की वृद्धि से उत्पादन की नयी-नयी प्रविधियों का विकास होता है और उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में होने लगता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में नये-नये आविष्कार होते हैं और इस तरह ज्ञान का अधिक प्रसार होता है। **सम्पत्ति के स्वामित्व की प्रकृति** पर जनसंख्या के प्रभाव को अनेक रूसी विद्वानों ने स्पष्ट किया है। इनका विचार है कि जिन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है, वहाँ साधारणतया सम्पत्ति पर सामूहिक स्वामित्व (Collective Ownership) होता है, जबकि घनी जनसंख्या वाले स्थानों पर सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व (Private Ownership) पाया जाता है। इसका कारण यह है कि घनी आबादी वाले प्रदेश में गहरी खेती और अधिक उत्पादन करना आवश्यक होता है जो सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व द्वारा ही सम्भव है। इसके विपरीत, कम आबादी के प्रदेशों में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व से ही अधिक उत्पादन करना सम्भव हो पाता है। **आर्थिक समृद्धता** और जनसंख्या के सम्बन्ध को स्पष्ट करने में दो प्रकार के मत पाये जाते हैं। एक ओर माल्थस (Malthus) और उसके अनुयायियों का विचार है कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से अति-जनसंख्या की समस्या उत्पन्न होती है और इस प्रकार संख्या अधिक होने से आर्थिक समृद्धता में बाधा पहुँचती है। दूसरी ओर, फ्राँस के कुछ विचारकों और उनके समर्थकों का मत है कि किसी समाज की आर्थिक समृद्धता जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से ही सम्भव है। वास्तविकता यह है कि कम साधनों और अधिक जनसंख्या की स्थिति में माल्थस का सिद्धान्त लागू होता है, जबकि साधन अधिक होने पर और उनकी तुलना में जनसंख्या कम होने पर दूसरा विचार अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, भारत में जनसंख्या के घनत्व में होने वाली वृद्धि ने हमारी आर्थिक समृद्धता में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की है। इसके विपरीत, रूस और यूरोप के कुछ देशों में आर्थिक समृद्धता को बढ़ाने के लिए अधिक जनसंख्या पर जोर दिया जा रहा है।

(4) सामाजिक संगठन पर जनसंख्या का प्रभाव (Effect of Population on Social Organization)

सामाजिक संगठन में हम मुख्य रूप से तीन पक्षों को सम्मिलित करते हैं—(1) सामाजिक विभेदीकरण (Differentiation), (2) सामाजिक स्तरीकरण (Stratification) तथा (3) पारिवारिक संगठन

Scanned with CamScanner